उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या-64/2016-वे0आ0-2-2645/दस-04(एम)/2016
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

संकल्प

पढ़ा गया : **वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियॉ।**

पर्यालोचनार्थ- शासन द्वारा वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में स्वशासी संस्थाओं के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को विचारोपरान्त निम्न् के अधीन स्वीकार कर लिया गया है :-

(1) स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियां स्वीकार की गयी।

(2) विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विद्यमान ऐसी स्वशासी संस्थाएं जहॉ पर वेतनमानों का पुनरीक्षण शासन की सहमति से दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में किया जा चुका है वहॉ वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की लागू व्यवस्था के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स की व्यवस्था दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू की जायेगी।

वेतन समिति द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों को उनके द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016/ विकल्प की तिथि को प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के आधार पर दिया जायेगा।

(3) ऐसी स्वशासी संस्थाएं जिनमें दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य नहीं हुआ है, उनमें पूर्व वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन काल्पनिक रूप से अनुमन्य मानते हुये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की व्यवस्था दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू की जाये।

(4) उपर्युक्त उप प्रस्तर-2 तथा 3 से आच्छादित संस्थाओं में उपर्युक्तानुसार वेतनमानों का पुनरीक्षण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

(i) ऐसी स्वशासी संस्थायें जो स्वयं के स्रोतो से संचालित हैं, के कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण हेतु संस्था की गवर्निंग बाडी/बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव में इस तथ्य का परीक्षण कर पुष्टि की जायेगी कि संस्था वेतनमानों के पुनरीक्षण पर आने वाले व्ययभार को वहन करने में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

सक्षम है और इस हेतु संस्था के पास अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध हैं।

(ii) ऐसी स्वशासी संस्थाएं जो शत-प्रतिशत अथवा आंशिक रूप से राजकीय अनुदान से संचालित हैं उनके व्ययभार वहन हेतु राज्य सरकार के अंश को वहन करने हेतु बजटीय प्रावधान करा लिया गया है और सम्बन्धित संस्था की गवर्निंग बाडी/बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया हो।

(iii) राज्य सरकार अथवा अन्य सेवाओं के ऐसे अधिकारी जो स्वशासी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, उन्हें अपने संवर्ग के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

(iv) स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों के वेतनमान आदि पर आवश्यक धनराशि के जितने प्रतिशत भाग को वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार के उतने ही प्रतिशत भाग को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। अवशेष अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।

(v) ऐसी स्वशासी संस्थाएं जिनमें आई0सी0ए0आर0 के वेतनमान लागू हैं, में आई0सी0ए0आर0 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान तब देय होंगे जब प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आई0सी0ए0आर0 वेतनमान लागू कर दिये जायें।

(vi) यदि किसी स्वशासी संस्था के कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों से इतर कोई सुविधा अनुमन्य है तो उसका पुनरीक्षण राज्य सरकार की सहमति से ही किया जाये।

(5) स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों के लिये लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतनवृद्धियों को अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था, मॅहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

(6) वेतन समिति की निम्न् संस्तुतियों को स्वीकार किया गया :-

(i) स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था में 10 वर्ष, 16 वर्ष व 26 वर्ष की सेवा पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने की वर्तमान व्यवस्था को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस प्रतिबन्ध के अधीन बनाये रखा जाय कि इसकी अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवाओं के परीक्षण का वही मानक होगा, जैसा कि राज्य कर्मचारियों के लिए अपनाया जाय।

(ii) स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों के कार्यकुशल एवं अच्छे कर्मचारियों के मनोबल को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे कार्मिक, जो अपने दायित्वों के निवर्हन में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रूचि नहीं लेते हैं, उनकी इस मानसिकता को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसे कार्मिकों, जो प्रथम 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें आगे वार्षिक वेतन वृद्धियॉ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों की भांति व्यवस्था की जाय।

(iii) स्वशासी संस्थाओं के ऐसे पेंशनर जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य हैं, हेतु पेंशन पुनरीक्षण की वही प्रक्रिया अपनायी जाय, जो प्रक्रिया राजकीय पेंशनरों के सम्बन्ध में अपनायी गई है। साथ ही अन्य ऐसे सेवा-नैवृत्तिक लाभों, जो पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य हैं, का पुनरीक्षण भी राजकीय विभागों के पेंशनरों हेतु अपनायी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाय। ऐसी स्वशासी संस्थायें जिनके कार्मिकों को राजकीय कर्मियों की भांति पेंशन सुविधा देय नहीं हैं, उनके मामले में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई पेंशन नीति के सादृश्यता पर अथवा अन्यथा कोई व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय।

(iv) राज्य सरकार द्वारा इस बिन्दु पर परीक्षण करवाया जाय कि विभिन्न विभागों द्वारा स्वशासी संस्थाओं को जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित किया गया है, उसकी पूर्ति हो रही है अथवा नहीं? जिन संस्थाओं द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है, उन्हें बनाये रखने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाय। समान प्रकृति का कार्य करने वाली संस्थाओं के विलय पर भी विचार किया जाय। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति के गठन पर विचार कर लिया जाये।

(7) ऐसी स्वशासी संस्थायें, जो पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का वास्तविक लाभ दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

01 जनवरी, 2016 से दिये जाने हेतु सक्षम नहीं है, उनके कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का वास्तविक लाभ किस तिथि से दिया जाये, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लिया जाये।

(8) वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय को लागू करने के फलस्वरूप देय अवशेष, यदि कोई हो, के भुगतान हेतु राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित व्यवस्था से आकर्षक व्यवस्था लागू न की जाये।

(9) वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में प्रदेश की स्वशासी संस्थाओं के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित व्यवस्था में वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति विषयक आदेश सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अलग-अलग जारी किये जायेंगे।

(10) इस संकल्प के जारी होने के दिनांक से प्रदेश की स्वशासी संस्थाओं में पदों पर भर्ती तथा पदों का सृजन पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही किया जायेगा।

(11) उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई असंगति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण सामान्य विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।

(12) किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जायेगा।

2- वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरूतर दायित्व निर्वहन करते हुये यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, शासन उसकी सराहना करता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन-साधारण की सूचना के लिये उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित किया जाय। संकल्प तथा वेतन समिति का प्रथम प्रतिवेदन, भाग-6 वित्त विभाग की वेब साइट पर रखा जाये और सम्बन्धित विभागों को भी भेजा जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति के भाग-6 तथा संकल्प की प्रतियां

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बन्धित सेवा संघों और जनता के लिये बिक्री हेतु उपलब्ध रखी जाये।

आज्ञा से,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

संख्या-64/2016-वे0आ0-2-2645(1)/दस-04(एम)/2016,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, आवास एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
(6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 (25 प्रतियां)
(7) सचिवालय के सम्बन्धित विभागों से सम्बन्धित समस्त अनुभाग।
(8) गार्डबुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।